उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-69/2016/1934/92-2-16-202आरई/98

लखनऊ:: दिनांक:: 17 नवम्बर,2016

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय लेखा निदेशालय द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर के दिनांक 20-02-1995 से 16-06-1995 तक की अवधि के लेखों की जॉच की गयी। उक्त जॉच में परिलक्षित वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं के लिये श्री रामचन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6637/62-3-99-202आरई/98 दिनांक 15-11-1999 द्वारा अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-कानपुर की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 18-04-2001 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के अभाव में एक पक्षीय जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 6 आरोपों में से आरोप संख्या- 1, 2, 3 एवं 5 पूर्णरूप से एवं आरोप संख्या-4 व 6 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये। अत: उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-184/62-3(प्रकोष्ठ)/2001-202आरई/98 दि0 30-05-2001 द्वारा अपचारी अधिकारी को जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुये जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों पर अभ्यावेदन मांगा गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन में अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 06-08-2001 द्वारा अपना अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी ने पत्र दिनांक 19-10-2013 द्वारा अपने विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में पूर्व प्रेषित अभ्यावेदन दिनांक 06-08-2001 के परिप्रेक्ष्य में संशोधित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन दिनांक 06-08-2001 एवं संशोधित अभ्यावेदन दिनांक 19-10-2013 व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित नही पाये गये है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 15-11-1999 द्वारा श्री रामचन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-69/2016/1934(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रामचन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।